



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274374
CG-DL-E-11072026-274374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3586]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3586]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3748(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-२७ के मोरबी बाईपास के विकास हेतु कि.मी. ०.००० से कि.मी. ५१.१२८ (कलेक्टर कार्यालय, जिला सेवा सदन, शोभेश्वर रोड, मोरबी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एस.एल.ए.ओ.-ओ/ओ कलेक्टर-मोरबी(कि.मी. ०.००० से कि.मी. ५१.१२८ तक, राष्ट्रीय राजमार्ग-२७) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-२७ के मोरबी बाईपास के विकास हेतु कि.मी. ०.००० से कि.मी. ५१.१२८ के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: मोरबी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मोरबी					
गांव का नाम: जसमतगढ़					
1	320	निजी	(कृषि)	1.1595 (हेक्टेयर)	1.1595
2	322	निजी	(कृषि)	1.0059 (हेक्टेयर)	1.0059
3	323	निजी	(कृषि)	0.9357 (हेक्टेयर)	0.9357
4	325	निजी	(कृषि)	0.7505 (हेक्टेयर)	0.7505
5	326	निजी	(कृषि)	1.4736 (हेक्टेयर)	1.4736
6	327	निजी	(कृषि)	0.1637 (हेक्टेयर)	0.1637
7	328	निजी	(कृषि)	0.6273 (हेक्टेयर)	0.6273
8	329	निजी	(कृषि)	0.2327 (हेक्टेयर)	0.2327
9	332	निजी	(कृषि)	0.7361 (हेक्टेयर)	0.7361
10	333	निजी	(कृषि)	0.8369 (हेक्टेयर)	0.8369
11	334	निजी	(कृषि)	0.4405 (हेक्टेयर)	0.4405
12	335	निजी	(कृषि)	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
13	336	निजी	(कृषि)	0.4124 (हेक्टेयर)	0.4124
14	337	निजी	(कृषि)	0.2385 (हेक्टेयर)	0.2385
15	338	निजी	(कृषि)	0.1791 (हेक्टेयर)	0.1791
16	339	निजी	(कृषि)	0.2578 (हेक्टेयर)	0.2578
17	340	निजी	(कृषि)	0.2607 (हेक्टेयर)	0.2607
18	341	सामान्य	(कृषि/नहर)	0.1564 (हेक्टेयर)	0.1564
19	342	सामान्य	(कृषि/नहर)	0.4773 (हेक्टेयर)	0.4773
20	343	सामान्य	(कृषि/नहर)	0.4427 (हेक्टेयर)	0.4427
21	344	सामान्य	(कृषि/नहर)	0.179 (हेक्टेयर)	0.179

22	345	सामान्य	(कृषि/नहर)	0.1915 (हेक्टेयर)	0.1915
23	346	सामान्य	(कृषि/नहर)	0.8081 (हेक्टेयर)	0.8081
24	416	निजी	(कृषि)	0.5513 (हेक्टेयर)	0.5513
25	417	निजी	(कृषि)	0.7162 (हेक्टेयर)	0.7162
26	426	निजी	(कृषि)	0.1115 (हेक्टेयर)	0.1115
27	427	निजी	(कृषि)	1.6073 (हेक्टेयर)	1.6073
28	512	निजी	(कृषि)	0.4361 (हेक्टेयर)	0.4361
29	689	निजी	(कृषि)	0.5737 (हेक्टेयर)	0.5737
Total					16.202

[फा.सं. 3a/Morbi bypass/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3748(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 27 in the stretch of land from Km. 0.000 to km. 51.128 of the development of the Morbi bypass (Collector office, Jilla Seva Sadan, Shobheshwar Road, Morbi) in the district of Morbi in the state of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SLAO-O/o Collector-Morbi(Km 0 to Km51.128 NH 27) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH 27 in the stretch of land from Km. 0.000 to km. 51.128 of the development of the Morbi bypass (Collector office, Jilla Seva Sadan, Shobheshwar Road, Morbi) in the district of Morbi in the state of Gujarat

State: GUJARAT			District: MORBI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Morbi					
Village: Jasmatgadh					
1	320	Private	(Agriculture)	1.1595 (Hectare)	1.1595

2	322	Private	(Agriculture)	1.0059 (Hectare)	1.0059
3	323	Private	(Agriculture)	0.9357 (Hectare)	0.9357
4	325	Private	(Agriculture)	0.7505 (Hectare)	0.7505
5	326	Private	(Agriculture)	1.4736 (Hectare)	1.4736
6	327	Private	(Agriculture)	0.1637 (Hectare)	0.1637
7	328	Private	(Agriculture)	0.6273 (Hectare)	0.6273
8	329	Private	(Agriculture)	0.2327 (Hectare)	0.2327
9	332	Private	(Agriculture)	0.7361 (Hectare)	0.7361
10	333	Private	(Agriculture)	0.8369 (Hectare)	0.8369
11	334	Private	(Agriculture)	0.4405 (Hectare)	0.4405
12	335	Private	(Agriculture)	0.24 (Hectare)	0.24
13	336	Private	(Agriculture)	0.4124 (Hectare)	0.4124
14	337	Private	(Agriculture)	0.2385 (Hectare)	0.2385
15	338	Private	(Agriculture)	0.1791 (Hectare)	0.1791
16	339	Private	(Agriculture)	0.2578 (Hectare)	0.2578
17	340	Private	(Agriculture)	0.2607 (Hectare)	0.2607
18	341	Common	(Agriculture/Canal)	0.1564 (Hectare)	0.1564
19	342	Common	(Agriculture/Canal)	0.4773 (Hectare)	0.4773
20	343	Common	(Agriculture/Canal)	0.4427 (Hectare)	0.4427
21	344	Common	(Agriculture/Canal)	0.179 (Hectare)	0.179
22	345	Common	(Agriculture/Canal)	0.1915 (Hectare)	0.1915
23	346	Common	(Agriculture/Canal)	0.8081 (Hectare)	0.8081
24	416	Private	(Agriculture)	0.5513 (Hectare)	0.5513
25	417	Private	(Agriculture)	0.7162 (Hectare)	0.7162
26	426	Private	(Agriculture)	0.1115 (Hectare)	0.1115
27	427	Private	(Agriculture)	1.6073 (Hectare)	1.6073
28	512	Private	(Agriculture)	0.4361 (Hectare)	0.4361
29	689	Private	(Agriculture)	0.5737 (Hectare)	0.5737
Total					16.202

[F.No. 3a/Morbi bypass/3A]
 SHAIKH AMINKHAN, Director